

**कार्यालय अधिष्ठाता, शैक्षिक क्रिया कलाप
हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर**

पत्र सं० : ३१८ / शैक्षिक / छात्रवृ० / 2021

दिनांक: 06.10.2021

:: आवश्यक सूचना ::

विषय : शैक्षिक सत्र 2021-22 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन किये जाने के संदर्भ में।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं सामान्य वर्ग के छात्रों के लिये जिनके पिता/माता अथवा अभिभावक की कुल वार्षिक आय रु० 2.00 लाख तक है तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के जिन छात्रों के पिता/माता अथवा अभिभावक की कुल वार्षिक आय रु० 2.50 लाख तक है, शैक्षिक स्तर सुदृढ़ करने हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की योजना चलाई जाती है। उक्त योजनान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2021-22 में ऑनलाइन आवेदन करने हेतु मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं :

1. छात्रवृत्ति के लिये वेबसाइट <http://scholarship.up.gov.in> पर आवेदन किया जाना है, जिसके लिये शासन द्वारा घोषित अन्तिम तिथि दिनांक 21.10.2021 है।
2. आधार नम्बर का जनसांख्यिकी प्रमाणीकरण (Demographic Authentication) (नाम एवं जन्म तिथि का मिलान) तथा आधार लिंक मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओटी०पी० को अकित करने के बाद ही छात्र अपने आवेदन पत्र को ऑनलाइन टेम्परेरी लाक कर सकेगा।
3. आधार नम्बर से लिंक बैंक खाता एवं एन०पी०सी०आई० से सीडिंग अनिवार्य है। इस कार्य को सम्बन्धित बैंक शाखा से अनिवार्य रूप से कराये अन्यथा की स्थिति में ट्रांजेक्शन फेल होने की सम्भावना रहेगी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में छात्रवृत्ति का भुगतान आधार नम्बर से जुड़े बैंक खाते में ही होगा।
4. अपना आधार लिंक बचत बैंक खाता (बैंक खाते में लिंकिंग एवं एन०पी०सी०आई० में सीडिंग के साथ) संचालित रखें, न्यूनतम बैलेन्स बनाये रखें एवं खाते में धनराशि आने की अधिकतम लिमिट न लगी हो तथा हर 03 माह में बैंक खाते में ट्रांजेक्शन अवश्य करें।
5. आधार लिंक बचत बैंक खाते को भलीभांति जांच लें। बिना आधार सीडेड खाता संख्या (बैंक खाते में लिंकिंग एवं एन०पी०सी०आई० में सीडिंग के साथ) भरने पर पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से छात्र का आवेदन रिजेक्ट हो जायेगा। नवीनीकरण के छात्र/छात्रायें जिनका आधार एवं ओटी०पी० प्रमाणीकरण एक बार हो चुका है, उसे पाठ्यक्रम की समाप्ति तक पुनः आधार प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है।
6. छात्रों को ऑनलाइन आवेदन Submit करने के पश्चात उसका सुस्पष्ट प्रिन्टआउट 03 दिनों के अन्दर विलम्बतम दिनांक 25.10.2021 तक निम्नलिखित अभिलेखों के साथ अधिष्ठाता, शैक्षिक क्रिया कलाप के कार्यालय में जमा करना होगा।
 - (क) ऑनलाइन किया गया आवेदन पत्र विभागाध्यक्ष द्वारा इस आशय से अग्रसारित किया जायेगा कि छात्र अपनी कक्षा में उपस्थित हो रहा/रही है तथा इनकी उपस्थिति 75% से कम नहीं है।
 - (ख) सक्षम स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र एवं इन्टरनेट से सत्यापन की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।
 - (ग) जाति प्रमाण पत्र एवं इन्टरनेट से सत्यापन की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।
 - (घ) पिछले शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी सभी अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।
 - (च) छात्र के बैंक खाता के पासबुक की सुस्पष्ट छायाप्रति जिससे नाम एवं खाता संख्या प्रमाणित किया जा सके।
 - (छ) छात्रों के रजिस्ट्रेशन कार्ड (आर०सी०) की छायाप्रति। नव प्रवेशित छात्र Allotment Letter की प्रति संलग्न करें।
 - (ज) समस्त जमा शुल्क के रसीद की छायाप्रति।

(अ) आय प्रगाण पत्र के समर्थन में ₹० १०/- के स्टाम्प पेपर पर एक शपथ पत्र पिता/माता अथवा अभिभावक द्वारा (जिसमें पैन कार्ड व आधार कार्ड नम्बर अंकित हों) एवं एक शपथ पत्र छात्र द्वारा प्ररतुत किया जायेगा।

(ट) पिता/माता अथवा अभिभावक के पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की छायाप्रति तथा छात्र के आधार की छायाप्रति।

उपरोक्त विवरण त्रुटिपूर्ण होने की दशा में छात्र को छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा, जिसके लिये छात्र स्वयं उत्तरदायी होगा।

(आनन्द कुमार)

अधिष्ठाता, शैक्षिक क्रिया कलाप

प्रतिलिपि:

1. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, एच०बी०टी०य००, कानपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि सूचना को समस्त छात्रावासों के सूचनापटों पर प्रदर्शित कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, एच०बी०टी०य००, कानपुर को इस आशय के साथ कि सूचना को अपने विभाग के सूचना पट पर प्रदर्शित कराते हुये छात्रों के छात्रवृत्ति आवेदन प्रपत्र पर उनकी उपस्थिति 75% से कम नहीं होने को प्रमाणित करने का कष्ट करें।
3. सिस्टम मैनेजर, एच०बी०टी०य००, कानपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि सूचना को विश्वविद्यालय की बैंकसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
4. कुलसचिव, एच०बी०टी०य००, कानपुर।


6.10.21

(आनन्द कुमार)

अधिष्ठाता, शैक्षिक क्रिया कलाप